न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, भीलवाडा

(पीठासीन अधिकारी एल. आर. गुगरवाल आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 26/2013 – निगरानी

1. श्री सोहनलाल सुथार पिता लक्ष्मण सुथार निवासी भूणास ग्राम पंचायत भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा –निगराकार	बनाम	1. श्री सुरेश पुत्र भेरूदास साधु निवासी भूणास 2. ग्राम पंचायत भूणास जरिये सरपंच ग्राम भूणास ग्राम पंचायत भूणास तहसील सहाडा जिला भीलवाडा – गैर निगराकार

निगरानी विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत भूणास पंचायत समिति सहाड़ा जिला भीलवाडा पत्रावली सं. 3/99 संकल्प सं. 03 दिनांक 21.04.2007

उपस्थितिः–

1. श्री अरूण देराश्री अधिवक्ता – निगराकार की ओर से
2. श्री राजकुमार सारस्वत अधिवक्ता – गैर निगराकार सं. 01की ओर से
3. गैर निगराकार सं. 02 उपस्थित नहीं

निर्णय

दिनांक 15.02.2017

निगराकार की ओर से यह निगरानी पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अंतर्गत गैर निगराकारान के विरूद्व दिनांक 01.08.2013 को प्रस्तुत कर निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्व एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य के प्रतिकूल होने से अपास्त होने योग्य है । प्रस्तुत निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम पंचायत भूणास एवं सुरेश द्वारा मिलीभगत से पट्टा जारी करवाया गया है । ग्राम पंचायत द्वारा एक ही दिन में समस्त प्रोसिडिंग्स लिखी गई है जिस पर किसी भी वार्ड पंच की उपस्थिति के कोई हस्ताक्षर नहीं है । सचिव ग्राम पंचायत के हस्ताक्षर पटटे पर नहीं है। राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 की धारा 141 का पूर्ण रूपेण अथवा अन्य किसी भी तरीके से कोई पालना नहीं की गयी । भूमि जेर निगरानी आबादी भूमि है । जिसके लिये धारा 142 राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के तहत कोई कार्यवाही नहीं हुई है । धारा 143 राजस्थान पंचायतीराज नियम

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाडा (राज.)

1996 की पालना भी नहीं की गई है । धारा 145 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत आवेदन पत्र के साथ शुल्क व नजरी नक्शा भी प्रस्तुत नहीं किया गया है । सचिव द्वारा फार्म – 21 में भी किसी तरह का अंकन नहीं किया गया है । रास्ते में अवरोध पैदा होता है , पड़ोसियों के सुखाधिकार व आवागमन में अवरोध उत्पन्न होता है । वक्त निरीक्षण धारा 146 राजस्थान पंचायतराज नियम 1996 का कोई ध्यान नहीं रखा गया । भूमि विक्रय हेतु नियमानुसार कोई नोटिस जारी नहीं किया गया । धारा 150 से 152 तक की कोई पालना नहीं की गयी । अतः निवेदन है कि निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत भूणास द्वारा जारी संकल्प सं. 03 दिनांक 21.04.2007 को निरस्त किया जावे ।

प्रस्तुत निगरानी इस न्यायालय में दिनांक 01.08.2013 को पंजीकृत करते हुये गैर निगराकारान को नोटिस जारी किये गये ।

प्रस्तुत निगरानी में निगराकार व गैर निगराकार के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी ।

निगराकार अधिवक्ता ने अपनी बहस में प्रस्तुत निगरानी के बिन्दु सं. 1 से लगायत 13 के तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि निगराकार की निगरानी स्वीकार फरमायी जाकर विवादित आदेश संकल्प 03 दिनांक 21.04.2007 को अपास्त किया जावे। गैर निगराकार सं. 02 द्वारा रास्ते की भूमि का पटटा जारी कर दिया गया जो विधि विरूद्व है तथा पटटा जारी करने में राजस्थान पंचायत राज नियमों की पालना नहीं की गई । सरंपच ग्राम पंचायत भूणास ने अकेले ही अपने हस्ताक्षर कर पटटा जारी कर दिया गया । उक्त पटटे पर ग्राम सचिव एवं गवाहान के हस्ताक्षर नहीं है । नजरी नक्शे पर सरपंच एवं ग्राम सचिव के हस्ताक्षर नहीं है । उक्त पटटा नियम विपरीत जारी किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य है ।

विद्वान अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में अंकित तथ्यों एवं दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । ग्राम पंचायत द्वारा पटटे पर केवल सरपंच ग्राम पंचायत भूणास के ही हस्ताक्षर है जबकि पटटे पर सरपंच एवं ग्राम सचिव दोनों के ही हस्ताक्षर होने चाहिए । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटटा जारी करने की प्रकिया संबंधी पत्रावली भी नहीं होने की सूचना दी गयी है । पटटा जारी करने हेतु राजस्थान पंचायत राज नियम 1996 की धारा 141, 142, 143, 145, 146 एवं

न्यायालय अति. जिला कलेक्टर भीलवाड़ा (राज.)

अतिरिक्त जिला कलक्टर भीलवाड़ा (राज.)

150 से 152 तक की कोई पालना नहीं की गई है । अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर निगराकार की निगरानी स्वीकार योग्य ठहरती है । अतएव–

आदेश

निगराकार की ओर से प्रस्तुत निगरानी पंचायत राज अधिनियम 1994 की धारा 97 विरूद्व आदेश ग्राम पंचायत भूणास बमामले संकल्प सं. 03 दिनांक 21.04.2007 के संबंध में पटटे पर केवल सरपंच ग्राम पंचायत भूणास के ही हस्ताक्षर है । पटटे पर ग्राम सचिव ग्राम पंचायत भूणास के हस्ताक्षर नहीं होने व पटटा जारी करने में राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1996 की धारा 141, 142, 143, 145, 146 एवं 150 से 152 तक की कोई पालना नहीं की गई है । अतः निगराकार की निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जारी संकल्प संख्या 03 दिनांक 21.04.2007 खारिज किया जाता है । निर्णय प्रति अधीनस्थ ग्राम पंचायत भूणास को पालनार्थ लौटाया जावे । आदेश की प्रति विकास अधिकारी पंचायत समिति सहाड़ा को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित किया जावे ।

निर्णय आज दिनांक 15.02.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

15.2.17

(एल.आर.गुगरवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
भीलवाड़ा